

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 104] No. 104]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1998/बैत्र 10, 1920 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1998/CHAITRA 10, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्थ, 1998

सा. का. नि. 157(अ). — केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 11 के सामने उल्लिखित ध्यक्तियों को मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी निमुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 12 से 17 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिस्चित करती है, अर्थात् :--

तालिका

- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, मुम्बई
- 4. संयुक्त सचिव (पत्तन), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
- 5. सीमा शुल्क आयुक्त, मुम्बई,
- ं नेवल आफिसर इंचार्ज, (महाराष्ट्र)
- मुख्य प्रचालन प्रबंधक, मध्य रेल, मुम्बई
- डा॰ शांति जी. पटेल

महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए

सीमाशुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए रक्षा सेवा (नौसेना) का प्रतिमिधित्व करने के लिए भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए पत्तन में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए

(1)

9.	श्री एस. आर. कुलकर्णी	पत्तन में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
10.	निदेशक (लाइनर एवं यात्री सेवा) भारतीय	भारतीय नौवहन निगम लि॰ (एस. सी. आई.) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
	नौवहन निगम	
11.	निदेशक (विपणन प्रभाग) भारतीय तेल	भारतीय तेल निगम (आई. ओ. सी.) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
	निगम लि ॰ मुम्बई	
12.	श्री रामृ एस. देव रा	ऑल इंडिया शिपर्स कांसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए
13.	कैप्टन बी. एस. कुमार	भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ (आई. एन. एस. ए.)का प्रतिनिधित्व करने के ्रिलए
14.	श्री अभय कुमार कासितवाल	महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए
15.	श्री राम गांधी	इंडियन मर्चेन्ट्स चैम्बर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए (मुम्बई)
16.	श्री मार्क एस फर्नाडीज	बम्बई कस्टम हाउस एजेंट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए
17.	श्री के. पी. बाइरामजी	बम्बई स्टीवडोर संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए
2.	यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1998 से लागू होगी।	

[फा॰ सं॰ पी टी-18011/1/97-पी टी]

के० वी० राव, संयुक्त संचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1998

G.S.R. 157(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Bombay and notifies the persons mentioned against serial 12 to 17 in the Table as elected to the Trustees on the said Board, namely :--

		TABLE
1.	Chairman	
2.	Dy. Chairman	
3.	Chief Executive Officer,	Representing the State Govt. of Maharashtra
	Maharashtra Maritime Board, Mumbai	
4.	Joint Secretary (Ports),	Representing the Min. of Surface Transport
	Min. of Surface Transport	
5.	Commissioner of Customs, Mumbai	Representing the Department of Customs
6.	Naval Officer In Charge, (Maharashtra)	Representing the Defence Services (Navy)
7.	Chief Operation Manager Central	Representing the Indian Railways
	Railway, Mumbai	
8.	Dr. Shanti G. Patel	Representing the Labour employed in the Port
9.	Shri S.R. Kulkarni	Representing the Labour employed in the Port

K. V. RAO, Jt. Secy.

10.	Director (Liner and Passenger	Representing the Shipping Corporation of India Ltd. (SCI)
	Services) Shipping Corpn. of India Ltd.	
11.	Director (Marketing Dvn.) Indian Oil	Representing the Indian Oil Corporation Ltd. (IOC)
	Corporation Ltd., Mumbai	
12.	Shri Ramu S. Deora	Representing the All India Shippers Council
ĺ3.	Capt. B.S. Kumar	Representing the Indian National Shipowners Association (INSA)
14.	Shri Abhaykumar Kasliwal	Representing the Maharashtra Chamber of Commerce & Industry
15.	Shri Ram Gandhi	Representing the Indian Merchants' Chamber, Mumbai
16.	Shri Mark S. Fernandes	Representing the Bombay Customs House Agents' Association
17.	Shri K. P. Byramjee	Representing the Bombay Stevedores' Association
2.	This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.	

[F. No. PT-18011/1/97-PT]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा. का. नि. 158(अ). — केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की ठप-धारा (6) के साथ पठित ठप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा मिध्निखित तालिका में क्रम सं० 1 से 13 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कलकत्ता पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 14 से 18 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में खुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात : (क्रम सं० 9 और 10 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों का पद पर बने रहना उनकी यूनियन(नों) की संख्या की लागू जांच प्रणली द्वारा पुष्टि के अध्यधीन है) :—

		तालिका
1.	अध्यक्ष	
2.	उपाध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन न्यास	
3.	उपाध्यक्ष, एच. डी. सी.	
4.	सचिव, परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए
5.	सीमा शुल्क आयुक्त, कलकत्ता	सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए
6.	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, जल-भूतल	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
	परिवहन मंत्रालय	
7.	नेवल ऑफीसर इंचार्ज, पश्चिम बंगाल	रक्षा सेवा (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
8.	मुख्य प्रचालन प्रबंधक, दक्षिण पूर्वी रेलवे, कलकत्ता	भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए
9.	श्री हेम लाल चटर्जी	पत्तन में नियोजित श्रामिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
10.	श्री पार्वती दास	पत्तन में नियोजित श्रामिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
11.	क्षेत्रीय महाप्रबंधक, भारतीय नौवहन निगम	भारतीय नौवहन निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए
	लि॰, (एस. सी. आई.) कलकत्ता	
12.	कार्यपालक निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) भारतीय तेल	भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए
	निगम (आई. ओ. सी.) कलकत्ता	

13.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सी. आई. डब्स्यू टो. सी,	सी. आई. डब्ल्यू. टी. सी. का प्रतिनिधित्य करने के लिए
	कलकत्ता	
14.	श्री एच. पी. कामरा	ऑल इंडिया शिप्पर्स कांसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए
15.	श्री एच. प्री. नोपामी	कलकता में नौवहन हितों के संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए
16.	श्री सुमित मजुमदार	बंगाल चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए
17.	श्री समीर कुमार घोष	बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए
18.	श्री पार्थ सधन बोस	भारत चैम्बर ऑफ कामर्स कलकत्ता का प्रतिनिधितव करने के लिए

2. यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1998 से लागू होगी ।

[फा॰ सं॰ पी टी-18011/2/97-पी टी]

के . वी. राव, संयुक्त समिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31 March, 1998

G.S.R. 158(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 13 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Calcutta and notifies the persons mentioned against serial numbers 14 to 18 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

(the continuation of person indicated at S.Nos. 9 and 10 is subject to the confirmation of the strength of their union(s) by the check off system introduced).

the c	heck off system introduced).	•
		TABLE
1.	Chairman	
2.	Dy. Chairman, CPT	
3.	Dy Chairman, HDC	
4.	Secretary, Transport Deptt, Govt. of	Representing the State Govt. of West Bengal
	West Bengal	
5	Commissioner Customs, Calcutta	Representing the Deptt. of Customs
6.	Addl. Secy. & F.A., Min. of Surface	Representing the Ministry of Surface Transport
	Transport	
7.	Naval Officer-in-Charge,	Representing the Defence Services (Navy)
	West Bengal	
8.	Chief Operations Manager, South	Representing the Indian Railways
	Eastern Railway, Calcutta.	
9,	Shri Hemlal Chatterjee	Representing the Labour employed in the Port
10.	Shri Parbati Das	Representing the Labour employed in the Port
11.	Regional Genl. Manager, Shipping	Representing the Shipping Corpn. of India Ltd.
	Corporation of India Ltd. (SCI),	
	Calcutta	

12.	Executive Director (Eastern Region), Indian Oil Corpn. Limited, (IOC).	Representing the Indian Oil Corporation Ltd.
	Calcutta.	
13.	Chairman-cum-Managing Director,	Representing the Central Inland Water Transport
	CIWTC, Calcutta	Corporation Ltd. (CIWTC)
14.	Shri H.P. Kabra	Representing the All India Shippers' Council
15.	Shri H.P. Nopany	Representing the Association of Shipping Interests
		in Calcutta, Calcutta.
16.	Shri Sumit Mazumder	Representing the Bengal Chamber of Commerce and
		Industry, Calcutta
17.	Shri Samir Kumar Ghosh	Representing the Bengal National Chamber of Commerce
		and Industry, Calcutta.
18.	Shri Partha Sadhan Bose	Representing the Bharat Chamber of Commerce, Calcutta.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F.No. PT-18011/2/97-PT] K.V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा. का. नि. 159(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 11 तक के व्यक्तियों को कोचीन पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 12 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में न्यासियों के रूप में चुने गए व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात :—(क्रम सं० 8 और 9 पर उल्लिखित व्यक्तियों का बने रहमा उनकी यूमियन (नों) की संख्या की लागू जांच प्रणाली द्वारा पुष्टि के अध्यधीन है) :—

तालिका

		\III\\14H
1.	अध्यक्ष	
2.	ढपाध्यक्ष,	
3.	सचिव, पत्तन, केरल सरकार	—केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए
4.	सीमा शुल्क आयुक्त, कोचीन	—सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए
5.	नेवल आफिसर इंचार्ज, केरल	—रक्षा सेवाएं (नेवी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
6.	निदेशक (डिजाइन), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	—जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
7.	प्रभागीय रेलवे प्रबंधक, दक्षिण रेलवे, त्रिवेन्द्रम	—भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व क्षरमे के लिए
8.	श्री वयालर रिव	—पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
9.	श्री के. पी. एस. मेनन	—पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
10.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोचीन रिफाइनरी लि. कोचीन	कोचीन रिफाइनरी लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए

11.	उपाध्यक्ष, समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एस.पी.ई.डी.ए.) कोचीन	—समुद्र डत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) कोचीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए
12.	श्री एस. हजारा	—इंडियन नेशनल शिफ्आनर्स एसोशिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए
13.	श्री एम.एच. अशरफ	—कोचीन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज कोचीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए
14.	श्री टी विद्यासागर	— इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री कोचीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए
15.	श्री सी.बी. अभिशेखर	—साउथ वेस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोशिएशन कोचीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 को लागू होगी।

[फा.सं.पी.टी.-18011/3/97-पी.टी.]

के.वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31 March, 1998

G.S.R. 159(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Cochin and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

(the continuation of person indicated at S.Nos. 8 and 9 is subject to the confirmation of the strength of their union (s) by the check off system introduced).

check on system introduced).		
		TABLE
1.	Chairman	
2.	Dy. Chairman,	
3,	Secretary, Ports, Govt. of Kerala	-Representing the State Govt. of Kerala.
4.	Commissioner of Customs, Cochin	-Representing the Department of Customs.
5.	Naval Officer in Charge, Kerala	Representing the Defence Services (Navy).
6,	Director (Design), Min. of Surface Transport	-Representing the Ministry of Surface Transport
7.	Divisional Railway Manager, Southern Railway, Trivandrum.	—Representing the Indian Railways.
8.	Shri Vyalar Ravi	Representing the Labour employed in the Port
9.	Shri K.P.S. Menon	-Representing the Labour employed in the Port
10.	Chairman & Managing, Director, Cochin Refinery Limited, Cochin	Representing Cochin Refinery Limited.
11.	Vice-Chairman, Marine Products Export Development Authority, (MPEDA) Cochin.	 Representing the Marine Products Export Development Authority, Cochin (MPEDA)
12.	Shri S. Hajara CIWTC, Calcutta	—Representing Indian National Shipowners' Association (INSA)
13.	Shri M.H. Ashraff	—Representing the Cochin Chamber of Commerce & Industry, Cochin.
14	Shri T. Vidyasagar	—Representing Indian Chamber of Commerce & Industry, Cochin.

15. Shri C.B. Abyshekar

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 को लागू होगी।

- —Representing South Western India Shippers' Association, Cochin.
- This notification shall come into forece on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/3/97-PT] K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा. का. नि. 160(अ). — केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 13 तक के व्यक्तियों को मद्रास पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 14 से 18 तक के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में न्यासियों के रूप में चुने गए व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात :—(क्रम सं० 8 और 9 पर उल्लिखित व्यक्तियों का बने रहना उनकी यूनियन (नों) की संख्या की लागू जांच प्रणाली द्वारा पुष्टि के अध्यधीन है) :—

तालिका

		तालका
1.	अध्यक्ष	
2.	उपाध्यक्ष	
3.	सचिव, परिवहन विभाग, तमिलनाडु सरकार	—तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
4.	विकास सलाहकार (पत्तन), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	जल-भूतल परिवहन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
5,	सीमा शुल्क आयुक्त, मद्रास	—सीमाशुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
6.	नेवल आफिसर इंचार्ज, तमिलनाडु	—रक्षा सेवाएं (नेवी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
7.	मुख्य प्रचालन प्रबंधक, दक्षिण रेलवे, चेन्नई	—भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
8.	श्री वी. के. बालाकृष्णन	—पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
9.	श्री जे. एच. फ्रेडरिक आजू	— पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
10.	क्षेत्रीय महाप्रबंधक, भारतीय नौवहन निगम, चेन्नई	—भारतीय नौबहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
11.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मद्रास रिफाइनरी लि., चेन्नई	—मद्रास रिफाइनरी लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
12.	मुख्य महाप्रबंधक, एम. एम. टी. सी. लि. चेन्नई	—एम. एम. टी. सी. लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
13.	सदस्य (जेनरेशन), तमिलनाडु बिजली बोर्ड, चेन्नई	तमिलनाडु बिजली बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
14.	श्री एस. एन. श्रीकांत	— इंडियन नेशनल शिप आनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
15.	श्री पी. मुरारी	—आल इंडिया शिपर्स कांउसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
16.	श्री अशोक आर. ठक्कर	— हिन्दुस्तान चैम्बर आफ कामर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
17.	श्री टोनी एडम	—सदर्न इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
18.	श्री रणजीत जेसुदासन	—मद्रास चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

[फा. सं. पी. टी.-18011/4/97-पी. टी.] के. वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31 March, 1998

G.S.R. 160(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 13 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Madras and notifies the persons mentioned against serial numbers 14 to 18 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

(the continuation of the person indicated at S.Nos. 8 and 9 is subject to the confirmation of the strength of their union (s) by the check off system introduced)

TABLE

		TABLE
1	Chairman	
2.	Dy. Chairman,	
3	Secretary, Transport Deptt. Govt. of Tamilnadu.	-Representing the State Govt. of Tamilnadu.
₽.	Dev. Adviser (Ports) Min. of Surface Transport	Representing the Ministry of Surface Transport.
5.	Commissioner of Customs, Madras.	—Representing the Deptt. of Customs
6	Naval Officer-in-Charge, Tamilnadu	-Representing the Defence Services (Navy)
7	Chief Operating Manager, Southern Railway, Chennai	Representing the Indian Railways
8.	Shri V.K. Balakrishnan	-Representing the Labour employed in the Port
9.	Shri J. H. Frederick Ajoo	-Representing the Labour employed in the Port
10.	Regional Genl. Manager, Shipping Corporation of India, Chennai.	—Representing the Shipping Corporation of India Ltd. (SCI)
11.	Chairman & Managing Director, Madras Refinery Ltd., Chennai.	—Representing the Madras Refineries Ltd.
12.	Chief Genl, Manager, MMTC Ltd., Chennai.	—Representing the Minerals and Metal Trading Corporation Ltd., (MMTC)
13.	Member (Generation), Tamil Nadu Electricity Board (TNEB), Chennai	—Representing the Tamilnadu Electricity Board (TNEB)
14.	Shri S. N. Srikant	 Representing the Indian National Ship-owners' Association (INSA)
15.	Shri P. Murari.	-Representing the All India Shippers Council.
16	Shri Ashok R. Thakkar	-Representing the Hindustan Chamber of Commerce.
17.	Shri Tony Adam	—Representing the Southern Indian Chamber of Commerce and Industry.
18.	Shrı Ranjit Jesudasen	Representing the Madras Chamber of Commerce and Industry.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/4/97-PT]

K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा. का. नि. 161(अ). - केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ

पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को मुरगांव पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 12 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात :--[क्रम सं० 8 और 9 पर उल्लिखित व्यक्तियों का बने रहना उनकी यूनियन (मों) की संख्या की लागू जांच प्रणाली द्वारा पुष्टि के अध्यक्षीन है]:--

तालिका

- अध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- 3. सिचव, अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग, गोवा सरकार--गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- उप सिंचव, (पी. टी.), जल भूतल परिवहन मंत्रालय जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- सीमा शुल्क आयुक्त, गीवा

- —सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- 6. मुख्य स्टाफ अधिकारी/फ्लैंग अधिकारी, गोवा क्षेत्र
- —रक्षा सेवाओं (नौसेमा) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- 7. प्रभागीय रेलवे प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, हुगली
- भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए

8. श्री पेड़ो विटो डी कोस्टा

-- पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए

9. श्री एस. के. शेट्टी

- पसन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- 10. उप महा प्रबन्धक, एम. एम. टी. लि., गोवा
- खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. (एम.एम.टी. सी.) का प्रतिनिधित्व करने कें लिए
- महा प्रबंधक (पश्चिमी क्षेत्र) भारत पेट्रोलियम निगम लि., मुम्बई
- -- भारत पेट्रोलियम निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- 12. श्री सुन्दरलाल आर. ठक्कर
- इंडियन नेशनल शिप ऑनर्स 'एस्रोसिएशम (आई.एन.एस.ए.) का प्रक्रिमिध्य करने के लिए

13. श्री वाई. तकागी

- ---गोवा खिनज अयस्क एक्सभोर्टर्स एसोसिएशन, गोवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- 14. श्री दत्ताराज वी. सालगावकर
- गोवा चैन्बर ऑफ कॉनर्स एंड इंडस्ट्री, गोवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए

श्री डेमियन एच. फर्माडीज

- मुरगांव शिप्स एअंट्स एसोसिएशन, गोवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 से लागू होगी।

[फा. सं. पी.टी.-18011/5/97-पी.टी.]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1998

G.S.R. 161(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Mormugao and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

(the continuation of the person indicated at S. Nos. 8 and 9 is subject to the confirmation of the strength of their union (s) by the check off system introduced)

TABLE

- 1. Chairman
- Dy. Chairman
- Secretary, Deptt. of Inland Water Transport, Govt. of Goa
- 4. Dy. Secy. (PT) Min. of Surface Transport
- Commissioner of Customs, Goa
- Chief Staff Officer/Flag Officer, Goa area
- Divisional Rly, Manager South Central Railway, Hubli.
- Shri Pedro Vito D' Costa
- Shri S. K. Shetye
- 10. Dy. Genl. Manager, MMTC Ltd., Goa
- General Manager (Western Region), Bharat Petroleum Corporation Ltd., Mumbai
- Shri Sunderlal R. Thakker 12.
- 13. Shri Y. Takagi
- Shri Dattaraj V. Salgaocar 14.
- 15. Shri Damian H. Fernandes

- -Representing the State Govt. of Goa
- Representing the Ministry of Surface Transport
- -Representing the Department of Customs
- Representing the Defence Services (Navy)
- Representing the Indian Railways
- Representing the Labour employed in the Port
- Representing the Labour employed in the Port
- Representing the Minerals and Metal Trading Corporation Ltd., (MMTC)
- --- Representing the Bharat Petroleum Corporation Ltd., (BPCL)
- Representing the Indian National Ship-owners' Association (INSA)
- Representing the Goa Mineral Ore Exporters' Association,
- Representing the Goa Chamber of Commerce & Industry,
- Representing the Mormugao Ships' Agents Association, Goa
- This notification shall come into force on 1st day of April, 1998.

[F. No. PT.-18011/5/97-PT]

K.V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा. का. नि. 162 (अ). -- केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 12 और 13 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात : -- [क्रम सं० 8 और 9 पर डिल्लिखित व्यक्तियों का बने रहना उनकी यूनियन (नों) की संख्या की लागू जांच प्रणाली द्वारा पुष्टि के अध्यधीन हैं]

तालिका

- अध्यक्ष 1.
- उपाध्यक्ष
- 3. सचिव, पत्तन एवं मतस्य पालन विभाग,

गुजरात सरकार

- 4. उप वित्त सलाहकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
- सीमा शूल्क आयुक्त, कांडला

गुजरात राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए

सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए

6.	प्रभारी नौसेना अधिकारी, गुजरात	रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
7.	प्रभागीय रेलवे प्रबंधक, अजमेर	भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए
8.	श्री एम. एल. बलानी	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
9.	श्री मोहन के. अश्विमी	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
10.	निदेशक (प्रचालन) तेल समन्वय समिति	भारतीय तेल निगम लि. (आई ओ सी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
	(ओ सी सी)	
11.	शाखा प्रबंधक, राज्य व्यापार निगम लि०,	राज्य व्यापार निगम लि॰ (एस टी सी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
	कांडला	
12.	श्री गिरीश पी. दानी	गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए
13.	श्री विनय कुमार	पंजाब-हरियाणा-दिल्ली 'बैम्बर ऑफ कॉमर्स 'एंड इंडस्ट्री
		का प्रतिमिधित्व करने के लिए

2. यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1998 से लागू होगी।

[फा॰ सं॰ पी टी-18011/6/97-पी टी]

के० वी० राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1998

G.S.R. 162 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 and 13 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

(the continuation of the person indicated at S. Nos. 8 and 9 is subject to the confirmation of the strength of their union (s) by the check off system introduced)

the visual of system introduced,			
		TABLE	
1.	Chairman		
2.	Dy. Chairman		
3.	Secretary, Deptt. of Ports and Fisheries, Govt. of Gujarat.	-Representing the State Govt. of Gujarat	
4.	Dy. Financial Adviser Ministry of Surface Transport	-Representing the Ministry of Surface Transport	
5.	Commissioner of Customs, Kandla	-Representing the Deptt. of Customs	
6.	Naval Officer In Charge Gujarat	-Representing the Defence Services (Navy)	
7.	Divisional Rly, Manager, Ajmer	—Representing the Indian Railways	
8.	Shri M. L. Bellani	-Representing the Labour employed in the Port	
9.	Shri Mohan K. Aswani	-Representing the Labour employed in the Port	
10.	Director (Operations) Oil Coordination Committee (OCC)	-Representing the Indian Oil Corporation Limited (IOC)	

11.	Branch Manager, State Trading Corporation Limited, Kandla	-Representing the State Trading Corporation Limited (STC)
12.	Shri Girish P. Dani	Representing the Gujarat Chamber of Commerce and Industry
13.	Shri Binay Kumar	-Representing the Punjab-Haryana-Delhi Chamber of Commerce and
		Industry

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/6/97-PT] K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा. का. नि. 163 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963, (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पिठत उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 10 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को पारादीप पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 11 से 13 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसृचित करती है, अर्थात:—

		तालिका	
1;	अध्यक्ष		
2.	उपाध्यक्ष		
3.	आयुक्त एवं सचिव, चाणिज्य एवं परिवहन विभाग, उद्धीसा सरकार	ठड़ीसा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	
4.	निर्देशक (मैक.), जल-भृतल परिवहन मंत्रालय	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए	
5.	सीमा शुरुक आयुक्त, भुवनेश्कर	सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए	
6.	प्रभागीय रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्वी रेल खुर्दा रोड	भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए	
7.	मेवल आफीसर इंचार्ज, उड़ीसा	रक्षा सेवा (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए	
8.	महाप्रबंधक, खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी)	खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) का प्रतिनिधित्व करने के लिए	
9.	कार्यपालक मिदेशक (पूर्वी क्षेत्र), भारतीय तेल निगम (आई को सी)	भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए	
10.	सदस्य (जनरेशन) तमिलनाडु विजली बोर्ड (टी एन ई बी) चेन्नई	तमिलनाडु बिजली बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए	
11.	श्री जी की के श्रीराम मूर्ति	भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ (आई.एन.एस.ए.) का प्रतिनिधित्व करने के लिए	
12.	कैप्टन डी के मिश्रा	उत्कल चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिभिधत्व करने के लिए	

13. श्री बी पी मोहंती

उड़ीसा चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए

2. यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1998 से लागू होगी।

[फा॰ सं॰ पी टी-18011/7/97-पी टी]

के॰ वी॰ राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1998

G.S.R. 163 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 10 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Paradip and notifies the persons mentioned against serial numbers 11 to 13 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

	TABLE			
l.	Chairman			
2.	Dy. Chairman			
3.	Commissioner-cum-Secy.	-Representing the State Govt. of Orissa		
	Commerce & Transport			
	Deptt., Govt. of Orissa			
4	Director (Mech.),	—Representing the Ministry of Surface Transport		
	Ministry of Surface Transport			
5.	Commissioner of Customs,	—Representing the Deptt. of Customs		
	Bhubaneshwar			
6.	Divisional Rly, Manager,	—Representing the Indian Railways		
	South Eastern Railway,			
	Khurda Road			
7.	Naval Officer-in-Charge,	—Representing the Defence Services (Navy)		
	Orissa			
8	General Manager,	—Representing the Minerals and Metals Trading Corporation		
	Minerals and Metals Trading	Limited (MMTC)		
	Corporation Limited (MMTC)			
9	Executive Director	Representing the Indian Oil Corporation Limited (IOC)		
	(Eastern Region), Indian Oil			
	Corporation Ltd. (IOC)			
10	Member (Generation)	-Representing the Tamilnadu Electricity Board (TNEB)		
	Tamilnadu Electricity Board			
	(TNEB). Chennai			
11.	Shri G. V. K. Srirama Murthy	-Representing the Indian National Shipowners' Association (INSA)		
12	Capt. D. K. Mishra	-Representing the Utkal Chamber of Commerce and Industry		

13. Shri B. P. Mohanty

-Representing the Orissa Chamber of Commerce and Industry,

This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/7/97-PT] K.V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा: का. नि. 164(अ). - केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 12 तक के व्यक्तियों को विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 13 से 15 तक के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में न्यासियों के रूप में चुने गए व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात :—(क्रम सं. 8 और 9 पर उल्लिखित व्यक्तियों का बने रहना उनकी यूनियन(नों) की संख्या की लागू जांच प्रणाली द्वारा पुष्टि के अध्यधीन है)

	तासिका			
1.	अध्यक्ष			
2.	उपाध्यक्ष			
3.	विशेष आयुष्त, पत्तन एवं पत्तन निदेशक, काकीनाडा, आंध्रप्रदेश सरकार	—आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।		
4.	निदेशक (पी.डी.) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	—जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।		
5.	सीमा शुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम	—सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।		
6.	प्रभागीय रेलवे प्रबंधक दक्षिण पूर्वी रेलवे, वालटेयर	— भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए।		
7.	नेवल आफिसर इंचार्ज, आंध्र प्रदेश	—रक्षा सेवाएं (नेवी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।		
8.	श्री डी. के. शर्मा	—पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।		
9.	श्री जी. जगन्नाधा राव	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।		
10.	महाप्रबंधक, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरशन लि., विशाखापत्तनम	—हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि., विशाखपत्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।		
11.	महाप्रबंधक, खनिज और धातु च्यापार निगम लिमिटेड	—खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने के लिए।		
12.	निदेशक (वाणिण्यिक) विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, विजाग	—विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, विशाखापत्तनम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।		
13.	श्री सी. वी. अच्युत गव	—फेडरेशन आफ आंध्रप्रदेश चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।		
14.	श्री ची. ची. रेड्डी	—विशाखापत्तनम चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।		
15.	श्री के.वी. कृष्ण कुमार	— इंडियन नेशनल शिप आनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।		

2.

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 को लागू होगी।

[फा. सं. पी.टी.-18011/8/97-पी.टी.]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1998

G.S.R. 164 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 tp 12 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and notifies the persons mentioned against serial numbers 13 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

1.	Chairman		
2.	Dy. Chairman		
3.	Spl. Commissioner, Ports & Director of Ports, Kakinada, Govt. of A.P.	—Representing the State Govt. of Andhra Pradesh	
4.	Director (PD) Ministry of Surface Transport	—Representing the Min, of Surface Transport	
5.	Commissioner of Customs, Visakhapatnam	Representing the Department of Customs	
6.	Divisional Railway Manager, South Eastern Railway, Waltair.	—Representing the Indian Railways	
7.	Naval Officer-in-Charge, Andhra Pradesh	Representing the Defence Services (Navy)	
8.	Shri D. K. Sarma	-Representing the Labour employed in the Port	
9.	Shri G. Jagannadha Rao	-Representing the Labour employed in the Port	
10.	General Manager, Hindustan Petroleum Corpn. Ltd. (HPCL), Visakhapatanam	Representing the Hindustan Petroleum Corporation Ltd., (HPCL), Visakhapatnam	
11.	General Manager, Minerals & Metals Trading Corporation Limited.	—Representing the Minerals and Metals Trading Corporation Ltd. (MMTC)	
12.	Director (Commercial), Visakhapatnam Steel Plant, Vizag.	Representing the Visakhapatnam Steel Plant, Visakhapatnam	
13.	Shri C.V. Atchut Rao	—Representing the Federation of Andhra Pradesh Chamber of Commerce and Industry.	
14.	Shri V.B.V. Reddy	Representing the Visakhapatnam Chamber of Commerce and Industry	
15.	Shri K.V. Krishna Kumar	—Representing the Indian National Shipowners' Association (INSA).	
2.	This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.		

[F. No. PT-18011/8/97-PT]

K.V. RAO, Jt. Secy.